

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017 / 00396

1. छीतर लाल पुत्र शंकर लाल
2. सियाराम पुत्र शंकर लाल जाति चमार निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील कनवास जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. स्व0 केलाबाई पत्नी धूली लाल जरिये कायममुकामान :-
1/1. भरतराज पिता धूली लाल
1/2. राममूर्ति पिता धूलीलाल जाति चमार निवासीगण जगदीशपुरा तहसील कनवास
2. स्व0 प्रेमबाई पत्नी पांचूलाल चमार जरिये कायममुकामान :-
2/1. मुकेश पुत्र पांचूलाल
2/2. हंसराज पुत्र पांचूलाल
2/3. मोरबाई पिता पांचूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद
3. श्रीमती बजरंगी बाई पत्नी लटूर लाल बैरवा निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा ।
4. टीकमचन्द पुत्र नन्दलाल जाति बैरवा निवासी मकान नं0 02 केशवपुरा, कोटा नाबालिग जरिये संरक्षक पिता नन्दलाल बैरवा केशवपुरा सेक्टर नं0 04, कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद हाल कनवास ।
6. कैलाश बाई पुत्री मथुरा लाल जाति चमार निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील कनवास ।
7. चमेली बाई उर्फ चमेली कौर पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति गवारिया निवासी खटीकों का मोहल्ला पुरानी पुलिस चौकी के पीछे कोटडी कोटा ।

—रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2017 / 00397

1. छीतर लाल पुत्र शंकर लाल
2. सियाराम पुत्र शंकर लाल जाति चमार निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील कनवास जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. स्व0 केलाबाई पत्नी धूली लाल जरिये कायममुकामान :-
1/1. भरतराज पिता धूली लाल
1/2. राममूर्ति पिता धूलीलाल जाति चमार निवासीगण जगदीशपुरा तहसील कनवास
2. स्व0 प्रेमबाई पत्नी पांचूलाल चमार जरिये कायममुकामान :-
2/1. मुकेश पुत्र पांचूलाल
2/2. हंसराज पुत्र पांचूलाल

(Handwritten signature)

- 2/3. मोरबाई पिता पांचूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद
3. श्रीमती बजरंगी बाई पत्नी लटूर लाल बैरवा निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा
4. टीकमचन्द पुत्र नन्दलाल जाति बैरवा निवासी मकान नं0 02 केशवपुरा, कोटा नाबालिग जरिये संरक्षक पिता नन्दलाल बैरवा केशवपुरा सेक्टर नं0 04, कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद हाल कनवास ।
6. कैलाश बाई पुत्री मथुरा लाल जाति चमार निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील कनवास

—रेस्पोडन्ट

- उपस्थित :- 1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री केसरी लाल बैरवा, अभिभाषक, रेस्पोडन्ट क्रम 04 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांक: 12.03.2021

1. अपीलान्त द्वारा उक्त दोनों अपीलों अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.04.2017 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. उक्त दोनों अपीलों समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की तथा दूसरी अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग-अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगोद में कुल 03 किता की रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर कायम कर कुल 06 किता की रकबा 4.68 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि स्वर्गीय कालीबाई बेवा नारायण जाति चमार एवं श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री मथुरा लाल के सम्मिलित खाते में संभाग से दर्ज है । उक्त भूमियों में से 1/2 हिस्से की सहखातेदार श्रीमती कैलाशी बाई द्वारा खसरा नम्बर 594 एवं खसरा नम्बर 595 का आधा अविभाजित हिस्सा प्रतिवादिनी क्रम 03, बजरंगी बाई को विक्रय किया जाकर जरिये इंतकाल नम्बर 43 दिनांक 23.08.2005 को प्रतिवादिनी नम्बर 03 के खाते दर्ज किया जा चुका है और इसी प्रकार से शेष खसरा नम्बर 687, 688, 689 व 693 की अविभाजित 1/2 हिस्से की भूमि श्रीमती कैलाशी बाई द्वारा प्रतिवादी क्रम 04 को विक्रय की जाकर जरिये इंतकाल संख्या 447 दिनांक 20.07.2002 से क्रेता टीकमचन्द प्रतिवादी क्रम 04



के खाते दर्ज की जा चुकी है और राजस्व रिकॉर्ड से श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री मथुरा लाल सहखातेदार का नाम खारिज हो चुका है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा काली बाई बेवा नारायण का है, जिसे काली बाई की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 30.06.95 को वसीयतनामा आलेखित होना बताकर जरिये इंतकाल संख्या 404 दिनांक 13.03.1999 को काली बाई के स्थान पर उनका नाम दर्ज करवा लिया। उक्त इंतकाल खारिज किया जा चुका है। स्व0 काली बाई द्वारा दिनांक 25.02.1997 को वादीगण के पक्ष में हुई वसीयत जो स्टाम्प 50/- रुपये पर लिखी हुई है में वसीयतकर्ता ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसके 1/2 हिस्से की वादग्रस्त आराजी से उसकी दोनों पुत्रियों प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का कोई हक नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है और वे स्वर्गीय काली बाई द्वारा दिनांक 30.06.95 को उनके पक्ष में की हुई कानूनन महत्वहीन वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी से उनके नाम तस्दीक किया हुआ इंतकाल संख्या 404 निरस्त हो जाने के बाद भी वादग्रस्त आराजी में से वादीगण को अंतिम वसीयत नामा दिनांक 25.02.1997 मुातबिक प्राप्त भूमि को अपने पतियों के मार्फत जबरन काश्त कराने को प्रयत्नशील है जबकि वादीगण के पक्ष में स्वर्गीय काली बाई ने दिनांक 25.02.97 को उसके 1/2 हिस्से की वसीयत निष्पादित कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे स्वर्गीय काली बाई के 1/2 हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित करवाकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करें।


4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि पवर स्वर्गीय काली बाई के 1/2 हिस्से की भूमि पर काली बाई द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 25.02.1997 को की गई अंतिम वसीयत के आधार पर हिस्सा बांट बराबर से खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त वसीयतनामा के बाबत दीवानी न्यायालय से निर्धारण करवाया जाना आवश्यक हो तो उक्त सम्बन्ध में कायम वाद बिन्दु को दीवानी न्यायालय से निर्णित कराकर तदनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 3 व 4 के मध्य विधिवत विभाजन करवाया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि तथा प्रतिवादी क्रम 3 को खसरा नम्बर 594 एवं 595 में से 1/2 हिस्से पर तथा प्रतिवादी क्रम 05 को शेष खसरा नम्बर 687, 688, 689, 693 के आधे हिस्से पर पृथक खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता एवं लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि स्व0 काली बाई के 1/2 हिस्से की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।
5. प्रतिवादी क्रम 01 व 02 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2017 निर्णय पारित कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 के द्वारा पारित की तथा निर्णय दिनांक 12.04.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.04.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में दोनों अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.04.2017 निरस्त करने कथन किया ।
8. दोनों अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
9. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया था जिसमें दिनांक 11.01.2017 को प्रतिवादी क्रम 06 कैलाशी बाई को पक्षकार बनाकर एक राजीनामा पेश किया गया । राजीनामा को तस्दीक किये बिना ही प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । दिनांक 15.02.2017 की आदेशिका के अनुसार कोई प्रारम्भिक डिक्री शामिल मिसल नहीं की गई है । दिनांक 11.02.2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । कैलाशी बाई के कानूनी हक की कोई विवेचना नहीं की गई है । दिनांक 11.02.2017 की आदेशिका के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित करने का कोई उल्लेख नहीं है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार के द्वारा प्रेषित नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.04.2017 निरस्त फरमाये जावें ।
10. रेस्पोजेन्ट क्रम 04 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोजेन्ट क्रम 04 ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन् 2002 में ही क्रय की है । दावा उसके बाद पेश किया गया था परन्तु रेस्पोजेन्ट क्रम 04 को पक्षकार नहीं बनाया गया । रेस्पोजेन्ट क्रम 04 को आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर सन् 2013 में पक्षकार बनाया गया है । दिनांक 20.01.2012 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी क्रम 04 की तलबी में तारीख दी गई थी । रेस्पोजेन्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्त रिमाण्ड फरमायी जावें और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाये जावें ।
11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक राजीनामा शामिल मिसल है । यह राजीनामा दिनांक 11.01.2017 को पेश किया गया है परन्तु राजीनामे को न्यायालय के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है और 11.02.2017 को अपीलाधीन विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है और दिनांक 11.02.2017 की कोई आदेशिका पत्रावली में अंकित नहीं है । दिनांक 11.01.2017 की आदेशिका में राजीनामे को तस्दीक किया जाना अंकित है परन्तु राजीनामा को तस्दीक नहीं किया गया है । दिनांक 15.02.2017 की आदेशिका में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखे जाने का उल्लेख है और पत्रावली पर दिनांक 15.02.2017 का आदेश भी संलग्न है । इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 को जारी की गई है और आदेश दिनांक 15.02.2017 को जारी किया गया है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व जो रिपोर्ट प्राप्त की गई है वो पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है और तहसीलदार को प्रेषित

की गई है जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री दोनों ही त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2017/00396 एवं 2017/00397 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.04.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान के द्वारा पेश किये गये राजीनामे को विधिक प्रावधानों के अनुसार तस्दीक कर राजीनामे की वैधानिकता की जाँच कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से प्रारम्भिक डिक्री पारित करें और प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार, सांगोद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा